जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2935 दिनांक 12-04-2016

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार के.एस. कॉलेज, सेवढ़ा रोड, मौ, भिण्ड को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा, हिन्दी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, अतिरिक्त विषय- राजनीति विज्ञान), बी.एस-सी. (आ.पा., गणित, भौतिकी, रसायन, अतिरिक्त विषय- वनस्पतिकी, प्राणिकी), बी.कॉम., बी.एच.एस-सी, पी.जी.डी.सी.ए., एम.ए. (राजनीति विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, हिन्दी साहित्य), एम.एस-सी. (गणित, प्राणिकी, रसायन) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

निरीक्षण में पाया गया कि भवन निर्मित है परंतु प्रयोगशालाएं एंव कम्प्यूटर लैब असंतोषजनक है। परिनियम 28(17) में सिर्फ विभिन्न विषयों में एक-एक शिक्षक ही नियुक्त है जबकि तीनो वर्षो की कक्षाए चल रही है। अतः महाविद्यालय को विभिन्न चल रहे विषयों में 02-02 शिक्षक परिनियम 28(17) में और नियुक्त करना होंगे। पुस्तकालय में विषयवार 100-100 पुस्तकें क्रय करें। प्रयोशालाएं पूर्णतया असंतोषजनक है एंव रखी सामग्री प्रदर्शन की भांति है। पाठ्यक्रमानुसार उपकरण प्रयोग सामग्री 3 लाख रु. की क्रय करें। एंव प्रयोगशालाओं को प्रयोग योग्य बनायें। कम्प्यूटर लैब में पांच कम्प्यूटर तथा लीगल सॉफ्वेयर क्रय करें। पुस्तकालय में चल रहे दो प्रकार के सरल कमांक ठीक कर एक सरल कमांक ही चलायें। महाविद्यालय में पूर्व से चल रहे पाठ्यकमों की अस्यायी सम्बद्धता की अनुशंसा की जाती है।

नोटः- महाविद्यालय द्वारा कमियों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिए गए शपथ पत्र का परीक्षण सत्र 2016-17 की निरीक्षण समिति द्वारा किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, के.एस. कॉलेज, मउ, भिण्ड।
1. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
3. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्